



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

बी. एस. मिरगे / B. S. Mirge

जन संपर्क एवं लोक सूचना अधिकारी
P.R.O. & Public Information Officer

27/2023-24/2151/360

दिनांक : 26/10/2023

महोदय,


सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 16.09.2023 (कार्यालय में दिनांक 04.10.2023 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
1	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा दुरूस्त शिक्षा के माध्यम से संचालित पाठ्यक्रम संबंधित निम्न जानकारी उपलब्ध करने की कृपा करे।	
A	उपरोक्त पाठ्यक्रमों का संचालन करने हेतु वर्तमान में शुल्क का उपलब्ध कराएं।	संचालित पाठ्यक्रमों का शुल्क विवरण संलग्न है।
B	उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालन तथा संबंधता हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान को कौन से मानक को पूरे करने होंगे तथा संबंधता शुल्क संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं।	संबंधता का कोई प्रावधान नहीं
C	उपरोक्त संबंध में यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि संबंधता हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने का प्रावधान है।	प्रश्न 'बी' के अनुसार

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय


(बी. एस. मिरगे)